संख्या-02/2018/06/59-2-2018-24(खा)/2009

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

खादी तथा ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 जनवरी, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम योजना (एस0सी0एस0पी0) के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या-1571/खा0ग्रो0बो0/एस.सी.एस.पी./बजट/प्रचार अनु0/2017-18, दिनांक 02-01-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 2,60,00,000.00 (रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 108.00 लाख (रूपये एक करोड़ आठ लाख मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-20/2017/402/59-2-2017-24(खा)/2009, दिनांक 21 जुलाई, 2017 द्वारा निर्गत की गयी है तथा अवशेष धनराशि रू0 152.00 लाख (रूपये एक करोड़ बावन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न फॉट के अनुसार वित्तीय स्वीकृति आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

1- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानको व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक अथवा पोस्ट आफिस में नही रखा जायेगा तथा तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के व्यय का नियमानुसार प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उसके व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में योजना की गाईड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग/व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग उत्तरदायी होंगे।

7- स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही व्यय की जायेगी। किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग स्वंय उत्तरदायी होंगे।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-08-विपणन विकास सहायता कार्यक्रम-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र0-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव

संख्या-02/2018/06(1)/59-2-2018-24(खा)/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-3
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
10- एन0आई0सी0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-02/2018/06/59-2-2018-24(खा)/2009, दिनांक 15 जनवरी, 2018 का संलग्नक-

विपणन विकास सहायता योजना (एस0सी0एस0पी) हेतु धनराशि रू0 152.00 लाख (रूपये एक करोड़ बावन लाख मात्र) का विवरण:-

क्र0	मद	धनराशि (लाख रू0 में)
1	75 जनपदों हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन प्रति जनपद 02 शिविर प्रति शिविर रू0 25,000.00	37.50
2	08 प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु	100.00
3	टी.वी.सी./डाक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण एवं अन्य प्रचार-प्रसार कार्य हेतु	14.50
	योग	152.00

(रूपये एक करोड़ बावन लाख मात्र)

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in